



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापूर जिला भीलवाडा  
पीठासीन अधिकारी-विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-167 / 2020 (2020 / 00620)

दर्ज दिनांक 03.11.2020

प्रा.प. अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. चन्द्रेश उर्फ रामचन्द्र पिता बद्रीलाल सुवालका निवासी शिवरती तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल निवास 53, सुखदेवी विहार प्रतापपुरा बड़गांव उदयपुर (राज0)

-प्रार्थी

बनाम

1. प्रभुलाल पिता बंशीलाल सुवालका
  2. पारसदेवी पुत्री बंशीलाल सुवालका
  3. मायादेवी पुत्री बंशीलाल सुवालका
  4. राजु पिता रामेश्वरलाल सुवालका
  5. शांतिलाल पिता बंशीलाल सुवालका
  6. शिवलाल पिता बदरीलाल सुवालका
  7. सत्यनारायण पिता बंशीलाल सुवालका
  8. सुमन पुत्री रामेश्वरलाल सुवालका
  9. सम्पतदेवी पुत्री बंशीलाल सुवालका
  10. सीतादेवी पत्नि रामेश्वरलाल सुवालका
  11. हरिश पिता रामेश्वरलाल सुवालका
  12. हिम्मतलाल पिता बदरीलाल सुवालका
- सर्व निवासी शिवरती तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
13. व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति शिवरती तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
  14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु. गंगापूर ,जिला-भीलवाड़ा।

-विपक्षीगण

वकिल प्रार्थी:-श्री गणपत राणवा  
विपक्षी:- पेरोकार सरकार



1.

सहायक कलेक्टर पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
गंगापूर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम


निर्णय

दिनांक 22.01.2021

प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विपक्षी के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम शिवरती तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में मुझ प्रार्थी एवं विपक्षीगण के खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की आराजी संख्या 518, रकबा 0.22 हे० बीड़, आराजी संख्या 519 रकबा 0.10 हे० बीड़, आराजी संख्या 520 रकबा 0.15 हे० बीड़, आराजी संख्या 521 रकबा 0.25 हे० बीड़, आराजी संख्या 522 रकबा 0.43 हे० बीड़, आराजी संख्या 528 रकबा 1.36 हे० बीड़ आराजी संख्या 558 रकबा 1.25 हे० बीड़, आराजी संख्या 634 रकबा 0.24 हे० चाही I, आराजी संख्या 635 रकबा 0.05 हे० गो०मु०आचा, आराजी संख्या 636 रकबा 0.07 चाही I, आराजी संख्या 637 रकबा 0.27 हे० चाही I, आराजी संख्या 638 रकबा 0.20 हे० चाही I, आराजी संख्या 639 रकबा 0.25 हे० चाही I, आराजी संख्या 640 रकबा 0.19 हे० चाही I, आराजी संख्या 652 रकबा 0.08 हे० चाही I कुल किता 15 कुल रकबा 5.11 हे० भूमियां खाता संख्या 166 पर अंकित है। प्रमाण में जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 साथ में प्रस्तुत है। एवं खाता संख्या 290 पर अंकित आराजी संख्या 1401 रकबा 0.02 हे० गो०मु०आचा०, आराजी संख्या 598 रकबा 2.07 हे० बीड़, आराजी संख्या 834 रकबा 0.12 हे० बारानी I, आराजी संख्या 835 रकबा 0.32 हे० बारानी I कुल किता 4 कुल रकबा 2.53 हे० एवं खाता संख्या 461 पर अंकित आराजी संख्या 1399 रकबा 0.51 हे० नहरी I, आराजी संख्या 1400 रकबा 0.09 हे० बीड़ कुल किता 02 कुल रकबा 0.60 हे० स्थित है। प्रमाण में जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 साथ में प्रस्तुत है। यह कि उक्त वर्णित आराजियात में मेरे पिता की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरकण में मुझ प्रार्थी का नाम सेवन से चन्द्रेश के बजाय रामचन्द्र दर्ज हो गया था। प्रमाण में चालु जमाबंदी संवत् 2073-2076 व 2074-2077 की प्रमाणित प्रतियां साथ प्रस्तुत है।

यह कि उपरोक्त वर्णित आराजियात में प्रार्थी का नाम चन्द्रेश के बजाय रामचन्द्र दर्ज हो गया है। जबकि चन्द्रेश व रामचन्द्र मैं प्रार्थी ही हूँ। प्रार्थी एवं विपक्षीगण अपने-अपने हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त लाभ ले रहे हैं। जिससे मैं प्रार्थी उपरोक्त वर्णित आराजियात में मेरे नाम रामचन्द्र के बजाय चन्द्रेश दर्ज कराये जाने का विधिक अधिकारी हूँ। मुझ प्रार्थी के सभी दस्तावेज चन्द्रेश पिता बदरीलाल सुवालका के नाम से बने हुए हैं, और मैं कई वर्षों से उदयपुर में निवास करने लग गया था। जिससे गांव में एवं पुराने लोगों के बताये अनुसार विरासत के नामान्तरण के समय मेरा नाम चन्द्रेश की बजाय रामचन्द्र दर्ज कर दिया गया था। जिससे संशोधन से रामचन्द्र पिता बदरीलाल के बजाय चन्द्रेश पिता बदरीलाल सुवालका निवासी शिवरती हाल उदयपुर के नाम से राजस्व रिकार्ड में सुधार कराये जाने का अधिकारी हूँ।

2.

  
सहायक कलेक्टर पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
गंगापूर जिला भीलवाड़ा

यह कि राजस्व कर्मचारियों ने केवल कागजी खानापूर्ति करके मृतक बदरीलाल के पुत्र मुझ प्रार्थी का नाम चन्द्रेश के बजाय रामचन्द्र कर दिया गया है। जिससे मैं प्रार्थी उपरोक्त वर्णित आराजियात मे रामचन्द्र के बजाय चन्द्रेश पिता बदरीलाल नाम दर्ज कराये जाने का विधिक अधिकारी हूँ। ताईद में ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत है।

अतः सादर प्रार्थना हैं कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर मुझ प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में रामचन्द्र पिता बदरीलाल सुवालका के स्थान पर चन्द्रेश पिता बदरीलाल सुवालका दर्ज कर संशोधन का आदेश जारी फरमाया जावें।

प्रकरण दिनांक 03.11.2020 को दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 13 बावजूद सूचना के अनुपस्थित जिनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विपक्षी राजकीय पेटोकार सरकार ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि—

3. प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में रामचन्द्र पिता बदरीलाल का नाम अंकित है। प्रार्थी का वास्तविक नाम चन्द्रेश हैं जो सही है।
4. प्रार्थी का नाम आधार कार्ड, पेन कार्ड, पंचायत के प्रमाण पत्र अनुसार प्रार्थी का नाम रामचन्द्र के बजाय चन्द्रेश किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थी के अधिवक्ता एवं पेटोकार सरकार को मजमें आम में सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में आधार कार्ड, पेन कार्ड, पंचायत का प्रमाण पत्र पेश किया साथ ही पेटोकार सरकार का जवाब का भी अवलोकन किया जिससे प्रार्थी का नाम रामचन्द्र के बजाय चन्द्रेश किया जाना न्यायोचित है अतएवं:—

:: आदेश ::

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में रामचन्द्र पिता बदरीलाल सुवालका के स्थान पर चन्द्रेश पिता बदरीलाल सुवालका संशोधन किये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर को लिखा जावे। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(विकास पंचोली)

उपखण्ड अधिकाारी, पमेंगापुर 3.  
उपखण्ड अधिकाारी  
गंगापुर जिला धीलवाड़ा